

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

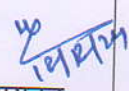
अधिहरण वाद सं०-19/2024-25

जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़

बनाम

निरज कुमार सिन्हा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<u>आदेश</u> यह वाद पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के पत्रांक-1523/अप०शा०, दिनांक-06.09.2024 के द्वारा अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं०-38/2024, दिनांक-22.07.2024 में जब्त वाहनों एवं उस पर लदे खनिज के अधिहरण (Confiscation) हेतु धारा-379 भा०द०वि० एवं 4/21 M.M.D.R. ACT 1957 JMMCR Rule 2004 & 7/9/13 of the Jharkhand mineral (Prevention of illegal mining transportation and Storage) Rule 2017 के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया। जब्त वाहन एवं उसपर लदे खनिज के वि:) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-1957 की धारा-21 की उपधारा-4-A में वर्णित है कि- Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद W.P.(Cr.) No-1155/2023 में दिनांक-15.01.2024 एवं W.P.(Cr.) No-502/2023 में दिनांक-13.09.2023 को पारित आदेश से उद्धृत है कि " "Sub-section (4-A) of Section 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 is quoted hereinbelow: 21. (4-A) Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such court" Looking into the above provision, it is crystal clear that any mineral, tool, equipment, vehicle can be confiscated by an order of the court competent to take cognizance. Section 22 of the said Act speaks of cognizance of offence, which is quoted hereinbelow: "22. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government." Looking into the above provision, it appears that the cognizance can be taken only on the complaint. Further, Section 30-B of the said Act, 1957 speaks of constitution of Special Courts and Section 30-C of the said Act, 1957 speaks of Special Courts power. (Continue.....)	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	
	Rule 54(5) of the Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 is amended by Jharkhand Minor Mineral Concession Amendment Rules, 2017, which is quoted hereinbelow: यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्ता अथवा समाहर्ता या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म डी में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है तथा दूसरी एवं तीसरी बार वैध परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपरोक्त के अतिरिक्त दण्ड की राशि क्रमशः 50,000.00 (पचास हजार रुपये एवं 1,00,000/ (एक लाख) रुपये होगी। जाँच करने वाले पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को खनिज सहित जप्त किया जाएगा तथा जिसे किसी सरकारी प्रतिष्ठान में अथवा स्थानिय थाना प्रांगण में सुरक्षित रखा जाएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एवं इस आशय का बंध पत्र (Bond Paper) समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगे, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है, परन्तु अवैध परिवहनकर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना न्यायायिक दण्डाधिकारी को दी जाएगी। बंध पत्र का प्रपत्र निदेशक, खान द्वारा अलग से परिचालित किया जाएगा। In view of the above facts, it is clear that the impugned orders passed by the Deputy Commissioner, Simdega is not in accordance with law. If a particular Act is there and certain procedure are prescribed therein, the same is required to be followed, which is lacking in the case in hand In view of the law declared by the Co-ordinate Bench of this Court that the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 23.05.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Sahebganj in Confiscation Case No. 85/2022-23 is, hereby, quashed and set-aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law. अतएव पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ से अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे खनिज से संबंधित थाना में दर्ज काण्ड के संदर्भ में जब्त वाहन एवं उस पर लदे खनिज के विरुद्ध धारा-379 भा0द0वि0 एवं 4/21 M.M.D.R. ACT 1957 JMMCR Rule 2004 & 7/9/13 of the Jharkhand mineral (Prevention of illegal mining transportation and Storage) Rule 2017 के तहत अधिहरण (Confiscation) हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अधिहरण (Confiscation) वाद संस्थित करते हुए आदेश पारित किया जाना नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित अधिहरण वाद के संदर्भ में प्राप्त प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को वापस किया जाता है एवं वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त पाकुड़।  उपायुक्त पाकुड़।	